146

संख्या– 213/XXXVI(1)/2011

प्रेषक,

डी० पी० गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त एडवोकेट–आन रिकार्ड, उत्तराखण्ड,
मा० उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 21 नवम्बर, 2011

विषयः मा० उच्चतम न्यायालय में राज्य की ओर से पैरवी हेतु अपर महाधिवक्ता/स्थाई अधिवक्ताओं/विशेष अधिवक्ताओं को आबद्ध किया जाना।

नहोदय/महोदया,

मा० उच्चतम न्यायालय में राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए शासन द्वारा न्यायिक प्रकरण को एडवोकेट–आन–रिकार्ड को आवंटित करते हुए उनके नाम वकालतनामा जारी किया जाता है। मा० न्यायालय में राज्य की ओर से पैरवी हेतु अपर महाधिवक्ता व स्थाई अधिवक्ता भी आबद्ध है। किन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि राज्य की ओर से पैरवी हेतु एडवोकेट–आन–रिकार्ड अपर महाधिवक्ताओं व स्थायी अधिवक्ताओं को प्रायः ही आबद्ध करते है। यदि इन अधिवक्ताओं को आबद्ध किया भी जाता है तो एडवोकेट–आन–रिकार्ड किसी एक ही स्थाई अधिवक्ता को कार्य देते है, समस्त अधिवक्ताओं को अवसर नही देते है।

2– यह उचित प्रक्रिया नही है। समस्त एडवोकेट–आन–रिकार्ड को निर्देशित किया जाता है कि राज्य की ओर से पैरवी हेतु वे समस्त स्थाई अधिवक्ताओं को कार्य आवंटित करें और कार्य एक ही अधिवक्ता को आवंटित न करते हुए अधिवक्ताओं के मध्य एक समान रूप से आवंटित किया जाय। ऐसे करने से न केवल शासन की प्रत्येक स्थाई अधिवक्ताओं को आबद्ध करने की उद्देश्य की पूर्ति होगी अपितु अधिवक्ताओं के मध्य कार्य का सन्तुलन होने से राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी भी हो सकेगी।

3– यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ मामलों में प्रशासकीय विभागों द्वारा एडवोकेट–आन–रिकार्ड के परामर्श अथवा अपने विवेक से विशेष अधिवक्ताओं को आबद्ध किये जाने का न्याय विभाग से अनुरोध किया जाता है। विशेष अधिवक्ताओं को देय फीस की राशि अत्यधिक होती है, जिससे राज्य पर वित्तीय भार पडता है। विगत कुछ माह में विशेष अधिवक्ताओं को आबद्ध किये जाने के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि पैनल अधिवक्ता को आबद्ध किया जाना नियम है और विशेष अधिवक्ता को अपवाद। राज्य की ओर से विशेष अधिवक्ता को असाधारण परिस्थितियों में ही आबद्ध किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जब मा० न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले में संविधान के निर्वचन के प्रश्न उत्पन्न हो या मामले में गम्भीर वित्तीय उपाशय हो अथवा ऐसे कारण हो जिनके आधार पर अपर महाधिवक्ता व स्थाई अधिवक्ता के रहते हुए विशेष अधिवक्ता को आबद्ध किया जाना उचित माना जा सके।

क्रमश.....2

4— अतः भविष्य में केवल उपर्युक्त परिस्थितियों में ही विशेष अधिवक्ताओं को आबद्ध किये जाने पर विचार किया जाय। जटिल मामलों में सर्वप्रथम स्थाई अधिवक्ता व अपर महाधिवक्ता को ही आबद्ध किया जाय और यह समाधान हो जाने पर कि अपर महाधिवक्ता अथवा स्थाई अधिवक्ता द्वारा प्रभावी पैरवी सम्भव नही है व उनके स्थान पर विशेष अधिवक्ता द्वारा ही प्रभावी पैरवी की जा सकती है, विशेष अधिवक्ता न्याय विभाग की पूर्वानुमति के आबद्ध किया जाना प्रस्तावित किया जाय।

भवदीय,

(डी0 पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या– 213/XXXVI(1)/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— मा0 मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2— मा0 विभागीय मंत्री जी के निजी सचिव को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5— अपर महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
6— समस्त स्थाई अधिवक्ता, उत्तराखण्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
7— गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव